(iii)& (iv) The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;The norms set by it for the discharge of its functions;

विभाग में जो भी डाक/मामले प्राप्त होते है, उन्हें वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक/लिपिक को अंकित किया जाता है । उन्हें सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रिकार्ड, तथ्य पूर्ण औचित्य सहित अधीक्षक को प्रस्तुत किया जाता है तथा अधीक्षक द्वारा पूर्ण निरीक्षण करने के पश्चात उप/सहायक निदेशक को प्रस्तुत किया जाता है । उप/सहायक निदेशक मामले का पूर्ण निरीक्षण करके अपने स्तर तक के कार्य को निपटाते हैं तथा निदेशक महोदय स्तर तक के कार्य को उन्हें प्रस्तुत करते हैं । निदेशक महोदय अपने स्तर तक के कार्य को निपटाते है तथा सरकार स्तर के निर्णय तक के मामलों को निर्णय हेतु प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति/वित्तीय मामलों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते हैं ।